भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*77

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**नए न्यायालयों की स्थापना**

**77. श्री के॰ रहमान खान :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में न्यायालयों की संख्या को दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थापित नए न्यायालयों की संख्या कितनी-कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इन नए न्यायालयों में पदों को भरने के लिए कब तक नए न्यायिक अधिकारियों/

न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*77 जिसका उत्तर तारीख 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

**(क)** **:** उच्चतम न्यायालय ने, इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में भारत के विधि आयोग से बकाया मामलों को समाप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त न्यायालयों की संख्या का वैज्ञानिक रूप से निर्धारण करने हेतु पद्धति तैयार करने का अनुरोध किया था । विधि आयोग ने अपनी 245वीं रिपोर्ट (2014) में यह सम्प्रेक्षण किया है कि प्रति व्‍यक्‍ति मामलों को फाइल किए जाने में, भिन्‍न-भिन्न भौगोलिक इकाइयों में भारी अंतर पाया जाता है, क्योंकि मामलों का फाइल किया जाना जनसंख्‍या की आर्थिक और सामाजिक स्‍थितियों से संबंधित है। इस प्रकार विधि आयोग ने देश में न्‍यायाधीश पद संख्‍या की पर्याप्‍तता का अवधारण करने के लिए न्यायाधीश-जनता के अनुपात को किसी वैज्ञानिक मानदंड के रूप में विचारार्थ नहीं लिया है । विधि आयोग ने यह पाया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में डाटा संग्रहण करने के लिए पूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में, बकाया मामलों को समाप्त करने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए बकाया मामलों का सृजन न हो, अपेक्षित अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या की गणना करने के लिए "निपटारे की दर" पद्धति अधिक व्यवहारिक और उपयोगी है । मई 2014 में, उच्‍चतम न्‍यायालय ने राज्‍य सरकारों और उच्‍च न्‍यायालयों से विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपने प्रत्युत्‍तर फाइल करने के लिए कहा था । अगस्त, 2014 में, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंध प्रणाली समिति (एनसीएमएस समिति) से विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा करने का और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था । एनसीएमएस समिति ने मार्च, 2016 में उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ, यह सम्प्रेक्षण किया गया था कि दीर्घकाल में, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीश पद संख्या का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाना होगा, जिससे प्रत्येक न्यायालय में मामलों के भार का निपटारा करने के लिए अपेक्षित "न्यायिक घंटों" की संख्या का अवधारण किया जा सके । अंतरिम उपाय के रूप में, समिति ने "भारित" निपटान दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव किया है, अर्थात जिसमें स्थानीय परिस्थितियों में मामलों की प्रकृति और जटिलता के अनुसार निपटारा किया जाएगा । माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 02.01.2017 के आदेश में दिए गए उसके निदेश के अनुसार, न्याय विभाग ने एनसीएमएस समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को अग्रेषित की है, ताकि उन्हें एनसीएमएस रिपोर्ट के आधार पर जिला न्याय पालिका के लिए अपेक्षित न्यायाधीश पद संख्या का अवधारण करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करने में समर्थ बनाया जा सके ।

**(ख) :** जिला और निचले जिला/अधीनस्थ (तहसील/तालुका) स्तर पर नए न्यायालों की स्थापना संवंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंध उच्च न्यायालयों से परामर्श कर दी गई है । उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के मंजूर पदों की संख्या वर्ष 2014 में 20,214 से बढ कर वर्ष 2017 में 22,677 हो गई है । वर्ष 2014 और 2017 में जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के मंजूर पदों के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर दिए गए है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अधीन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति अनुच्छेद 217(1) और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया-ज्ञापन के उपबंध के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलिजियम से परामर्श के पश्चात् और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय के कॉलिजियम के परामर्श के पश्चात् क्रमशः उच्चतम न्यायालय और सम्बद्ध उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावों का आरम्भ किया जाता है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों के ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिए गए हैं ।

**(ग) :** सवैधानिक ढांचे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संबंद्ध उच्च न्यायालयों का है । जहां तक राज्‍यों में न्‍यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित उच्‍च न्‍यायालय कतिपय राज्‍यों में इसे करते हैं, जबकि दूसरे राज्‍यों में उच्‍च न्‍यायालय इसे राज्‍य लोक सेवा आयोगों के साथ परामर्श से करते हैं । ब्‍यौरे **उपाबंध-3** पर दिए गए हैं ।

उच्च न्यायालयों और क्रमिक राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 30.11. 2017 को जिला और अधीनस्थ न्यायलयों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के मंजूर पदों की संख्या 22,677 है जिनमें से कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या क्रमशः 16,693 और 5,984 है ।

यह उल्लिखित किया जाता है कि केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्‍छेद 21 के अनुसरण में मामलों के त्‍वरित निपटारे के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है । इस उद्देश्‍य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उपाय किए हैं । उपायों में से एक उपाय जिलों में न्‍यायिक अवसंरचना को केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) के माध्‍यम से न्‍यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु कुल 6006 करोड़ रुपए 1993-94 में निर्मुक्‍त किए गए थे जिसमें से 2,562 करोड़ रुपये (42.66%) अप्रैल, 2014 तक निर्मुक्‍त किए जा चुके हैं । 17,848 न्‍यायालय हाल और 14,085 निवास स्‍थान तारीख 30.11.2017 तक इस स्‍कीम के अधीन जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों को उपलब्‍ध कराए जा चुके हैं । इसमें से 2429 न्‍यायालय हाल और 4172 निवास स्‍थान 2014 से अब तक निर्मित किए जा चुके हैं । इसके अतिरिक्‍त, 3,143 न्‍यायालय हाल और 1,682 निवास स्‍थान निर्माणाधीन है । केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) को न्‍यायपालिका के लिए अवसंरचनात्‍मक सुविधाओं के विकास हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के परे अर्थात् तारीख 1.4.2017 से 31.3.2020 तक 3320 करोड़ रुपए के प्राक्कलित परिव्‍यय के साथ जारी रखने का अनुमोदन किया है ।

केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए ई-न्‍यायालय मिशन पद्धति परियोजना के प्रथम चरण के अधीन 2010 से 2015 तक, 14249 न्‍यायालयों के कम्‍प्‍यूटरीकरण के कुल लक्ष्‍य के विरुद्ध 13672 जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों का कम्‍प्‍यूटरीकरण का लक्ष्‍य प्राप्‍त किया जा चुका है । इसमें साफ्टवेयर, हार्डवेयर का अवस्‍थापन, लैन और साफ्टवेयर सम्‍मिलित हैं । यह न्‍यायालय को मामले की प्रास्‍थिति और आदेशों को आनलाइन अपलोड करने में समर्थ बनाता है । मामलों की प्रास्‍थिति और निर्णयों की प्रतियां संबंधित जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालय काम्‍पलैक्‍सों, जो कम्‍प्‍यूटरीकृत हो चुके हैं, की वेबसाइटों पर उपलब्‍ध करा दी गई है ।

केंद्रीय सरकार, ई-न्‍यायालय मिशन पद्धति परियोजना के द्वितीय चरण का जुलाई, 2015 में, तारीख 31 मार्च, 2019 तक 1670 करोड़ रुपए के परिव्‍यय का अनुमोदन कर चुकी है । ई सेवाओं की सुविधाएं जैसे मामला सूची, मामला प्रास्‍थिति, दैनिक आदेश, निर्णय इत्‍यादि उच्‍चतम न्‍यायालय की ई-समिति और संबंधित उच्‍च न्‍यायालयों की कम्‍प्‍यूटर समितियों के पर्यवेक्षण के अधीन उपलब्‍ध कराई जाती है । कुल 16,089 न्‍यायालय ई-न्‍यायालय परियोजना के अधीन आज तक कम्‍प्‍यूटरीकृत किए जा चुके हैं । वीडियो कांफ्रेंसिग सुविधा भी 2015-17 की अवधि के दौरान 500 न्‍यायालयों और तत्‍स्‍थानी कारागारों में तीव्रतर और समय पर साक्ष्‍यों के अभिलेखन के लिए प्रचालित की जा चुकी है । इस परियोजना के अधीन राष्‍ट्रीय न्‍यायिक डाटा ग्रिड का विकास देश के कम्‍प्‍यूटरीकृत जिला/अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के लिए सिविल और दांडिक मामले, जिनमें लंबित मामले भी हैं, की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**नए न्यायालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*77 जिसका उत्तर तारीख 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है, का निर्दिष्ट विवरण**

**वर्ष 2014 और 2017 में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की मंजूर पद संख्या**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **31.12.2014 को स्वीकृत पद संख्या** | **30.11.2017 को मंजूर पद संख्या** |
| 1 | आंध्र प्रदेश और तेलंगाना | 1034 | 987 \*\* |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 16 | 28 |
| 3 | असम | 403 | 428 |
| 4 | बिहार | 1670 | 1826 \*\* |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 354 | 398 |
| 6 | गोवा | 52 | 55 |
| 7 | गुजरात | 1963 | 1511 \*\* |
| 8 | हरियाणा | 644 | 644 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 146 | 15 9 \*\* |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 244 | 253 |
| 1 1 | झारखंड | 578 | 672 \*\* |
| 12 | कर्नाटक | 1085 | 1303 \*\* |
| 13 | केरल और लक्षद्वीप | 447 | 537 \*\* |
| 14 | मध्य प्रदेश | 1460 | 2021 |
| 15 | महाराष्ट्र | 2072 | 2096 |
| 16 | मणिपुर | 40 | 49 |
| 17 | मेघालय | 55 | 97 |
| 18 | मिजोरम | 67 | 63 |
| 19 | नागालैंड | 27 | 34 |
| 20 | ओडिशा | 690 | 862 |
| 21 | पंजाब | 672 | 674 |
| 22 | राजस्थान | 1145 | 1223 \*\* |
| 23 | सिक्किम | 18 | 23 \*\* |
| 24 | तमिलनाडु | 997 | 1257 \* |
| 25 | त्रिपुरा | 104 | 107 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 2097 | 3204 |
| 27 | उत्तराखंड | 289 | 291 \*\* |
| 28 | पश्चिमी बंगाल और अंदमान निकोबार द्वीप | 994 | 1013 \*\* |
| 29 | चंडीगढ़ | 30 | 30 |
| 30 | दादर नागर हवेली और दमन और दीव | 7 | 7 \*\* |
| 31 | दिल्ली | 793 | 79 9 \*\* |
| 3 2 | पुडूचेरी | 21 | 26 \* |
| **कुल** | | **20,214** | **22** **,** **677** |

**\* 7.11.2017 को यथाविद्यमान**

**\*\* 31.10.2017 को यथाविद्यमान**

**उपाबंध-2**

**नए न्यायालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*77 जिसका उत्तर तारीख 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है, का निर्दिष्ट विवरण**

**उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 01.12.2017 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की रिक्तियां**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **न्यायालय का नाम** | **01.12.2017 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की रिक्तियां** |
| 1 | उच्चतम न्यायालय | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **उच्च न्यायालय का नाम** | **01.12.2017 को यथाविद्यमान न्यायाधीशों की रिक्तियां** |
| 1 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 51 |
| 2 | कलकत्ता उच्च न्यायालय | 39 |
| 3 | कर्नाटक उच्च न्यायालय | 37 |
| 4 | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 35 |
| 5 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय | 30 |
| 6 | दिल्ली उच्च न्यायालय | 23 |
| 7 | बंबई उच्च न्यायालय | 21 |
| 8 | गुजरात उच्च न्यायालय | 21 |
| 9 | पटना उच्च न्यायालय | 20 |
| 10 | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 19 |
| 1 1 | मद्रास उच्च न्यायालय | 15 |
| 12 | राजस्थान उच्च न्यायालय | 15 |
| 13 | झारखंड उच्च न्यायालय | 1 1 |
| 14 | केरल उच्च न्यायालय | 10 |
| 15 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | 10 |
| 16 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 10 |
| 17 | गुहाटी उच्च न्यायालय | 06 |
| 18 | जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | 06 |
| 19 | हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 05 |
| 20 | मणिपुर उच्च न्यायालय | 03 |
| 21 | त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 02 |
| 22 | मेघालय उच्च न्यायालय | 02 |
| 23 | उत्तराखंड उच्च न्यायालय | 01 |
| 24 | सिक्किम उच्च न्यायालय | 00 |
| **कुल** | | **392** |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-3**

**नए न्यायालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*77 जिसका उत्तर तारीख 22 दिसम्बर, 2017 को दिया जाना है,**

**राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं और निम्न राज्य न्यायिक सेवाओं के न्यायिक अधिकारियों /न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन करने वाली प्राधिकारी का विवरण**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य का नाम** | **उच्च न्यायिक सेवा** | **निम्न न्यायिक सेवा** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | गुवाहाटी उच्च न्यायालय | गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 50%  राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 50% |
| 3 | असम | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 4 | बिहार | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 5 | छत्तीसगढ़ | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 6 | दिल्ली | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 7 | गोवा | बॉम्बे उच्च न्यायालय | बॉम्बे उच्च न्यायालय |
| 8 | गुजरात | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 9 | हरियाणा | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 1 1 | जम्मू और कश्मीर | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 12 | झारखंड | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 13 | कर्नाटक | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 14 | केरल | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 15 | मध्य प्रदेश | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 16 | महाराष्ट्र | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 17 | मणिपुर | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 18 | मेघालय | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 19 | मिजोरम | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 20 | नागालैंड | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 21 | ओडिशा | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 22 | पंजाब | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 23 | राजस्थान | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 24 | सिक्किम | उच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| 25 | तमिलनाडु | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 26 | त्रिपुरा | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 27 | उत्तर प्रदेश | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 28 | उत्तराखंड | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |
| 29 | पश्चिमी बंगाल | उच्च न्यायालय | राज्य लोक सेवा आयोग |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*